न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–75/2017
GCMS NO:- 2017/00112 दायर दिनांकः 04.07.2017
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल पुत्र रामनिवास जाति तेली निवासी वार्ड नं. 6 नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिलर बून्दी।

– प्रार्थी–

बनाम

1. ललित कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति महाजन निवासी नैनवॉ जिला बून्दी।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति महाजन निवासी नैनवॉ जिला बून्दी।
3. मुकेश कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति महाजन निवासी नैनवॉ जिला बून्दी।
4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो0 नैनवां कमांक राजस्व/2016/2728–30 दिनांक 04.10.2016 अंतर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विमल कुमार साहु
अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन

संशोधित निर्णय दिनांक 08.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों ललित, मुकेश, सुरेन्द्र आत्मज रमेश कुमार जाति महाजन निवासी नैनवॉ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा नैनवॉ पटवार हल्का नैनवॉ प्रथम तहसील नैंनवां में कृषि भूमि खसरा सं. 584 रकबा 01–08 बीघा क्रय की थी जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में हो चुका है तथा जमाबन्दी में उक्त कय की गई भूमि को 6089/584 नम्बर दिये गये है। मौके पर प्रार्थीगणों का कब्जा है। नक्शे लठ्ठे में खेत बना हुआ है। अतः प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि नक्शे लठ्ठे में खसरा नम्बर का इन्द्राज जमाबन्दी के अनुरूप कराने के आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार नैनवां को विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां के पत्रांक भू0अ0/2016/6011 दिनांक 04.10.2016 से अपनी जांच रिपोर्ट में जमाबन्दी अनुसार शीट में नम्बर दर्ज करने की अभिशंषा की। जिसके क्रम में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के आदेश क्रमांक राजस्व/2016/2728–30 दिनांक 04.10.2016 से मुताबिक अभिशंषा तहसीलदार नैनवां के नक्शे लठ्ठे में प्रस्तावित नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 584 रकबा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 6089/584 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा के खसरा नम्बर का इन्द्राज नक्शे लठ्ठे में किये जाने के आदेश दिये गए।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के आदेश क्रमांक राजस्व/2016/2728–30 दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध प्रार्थी बाबूलाल आ0 रामनिवास ने माननीय न्यायाल अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा के समक्ष अपील 14/2017 प्रस्तुत की। जिसमें निर्णय दिनांक **24.05.2017** को अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां का निर्णय राजस्व/2016/2728–30 दिनांक 04.10.2016 अपास्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रषित किया गया। माननीय

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के आदेश की अनुपालना में प्रकरण पुनः क्रमांक 75/प्रा0पत्र/2017 दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण ललित, मुकेश, सुरेन्द्र आ0 रमेश ने निवेदन किया कि खसरा संख्या 584 के बटा नम्बर 6089/584 न्यायालय हाजा के नियमानुसार विधिसम्मत प्रकिया के तहत पारित आदेश कमांक 2728-30 दिनांक 30.10.2016 से नक्शा लट्ठा में अंकित किये गये है। खसरा संख्या 6089/584 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार अप्रार्थीगण है। मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी सडक में खसरा संख्या 6089/854 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 0.02 दो बिस्वा भूमि विधी सम्वत तरीके से अवाप्त की गयी है। प्रार्थी बाबूलाल की भूमि सडक में अवाप्त नहीं हुई है, प्रार्थी बाबूलाल भी भूमि को खसरा संख्या 584 रकबा 0.07 में से 2 बिस्वा भूमि सडक में अवैध व अनाधिकृत है। भूमि के गलत अवाप्ति आदेश को भूमि अवाप्ति अधिकारी ए.डी.एम. साहब बून्दी द्वारा सुधार करने के आदेश पारित कर देने पर राजस्व अभिलेखों के संशोधन किया जा चुका है। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बून्दी का आदेश दिनांक 28.03.2017 भूमि पर प्रभावशील है। जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, उक्त आदेश में खसरा संख्या 584 रकबा 0.019 है0 का मुआवजा प्रार्थी बाबूलाल को गलत भुगतान करना मानकर भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की अवाप्ति मानते हुये अप्रार्थीगण को ही मुआवजा राशि के भुगतान को प्राप्त करने का अधिकारी माना है। प्रार्थी बाबूलाल ने उक्त तरमीम के सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. नम्बर 102/2017 भी अप्रार्थीगण के विरूद्व थाना नैनवां में दर्ज करवायी थी। थाना नैनवां द्वारा प्रकरण में विधी सम्मत तरीके से तफतीश कर प्रकरण को झूठा मानते हुये एफ.आई.आर. कोर्ट में पेश कर दी है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, निर्णय आदेश, शपथ-पत्र, बयान आदि पेश किये।

पुनः दर्ज प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी बाबूलाल आ0 रामनिवास जाति तेली ने दिनांक 12.10.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अवैध एवं अनाधिकृत रूप से प्रत्यार्थी की भूमि के पश्चिमी दक्षिणी ओर स्थित खाली भूमि को प्रार्थी की बताकर गलत तरमीम किया, जबकि नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 584 के पश्चिमी दक्षिणी ओर खाली भूमि है जिसमें कोई नम्बर नही डाल रखे है। पुराने नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 584 पूरा स्पष्ट रूप से दर्शा रखा है। प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि में लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। परिशिष्ट अ में नेशनल हाईवे 148 डी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण को भी प्रार्थी ने ही भूमि बैची है। अतः प्रार्थी बाबूलाल ने निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित एवं परिशिष्ट अ में लाल स्याही से प्रदर्शित स्थान पर ही प्रत्यार्थी की भूमि की तरमीम की जावें। प्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में परिशिष्ट अ नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, शपथ-पत्र, कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भू0अवाप्ति) एवं अति0 जिला कलक्टर(सीलिंग) बून्दी के अवार्ड प्रकरण संख्या 144 दिनांक 16.07.2015 की प्रतिलिपी, जमाबन्दी खाता संख्या 391 ग्राम नैनवां प्रथम आदि पेश किये। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में राजस्व वाद संख्या 103/2017 भी जैरकार है। जिसकी नकल वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत की। प्रार्थी के वकील द्वारा माननीय अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा के समक्ष पेश अपील संख्या 142/2017 की नकलें भी प्रस्तुत की गई।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान अभिभाषकगण सुनी गई। बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के आदेश क्रमांक राजस्व/2016/2728-30 दिनांक 04.10.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में पारित निर्णय से न्यायालय सहमत है। अतः आदेश दिनांक 04.10.2016 में पारित निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी बाबूलाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। नैनवां प्रथम के खसरा संख्या 584 रकबा 07 बिस्वा व खसरा संख्या 6089/584 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा के खसरा नम्बर का इन्द्राज ललित कुमार, मुकेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार आ0 रमेश कुमार के पक्ष में निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार यथावत रखा जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस को परिशिष्ट"क" नाम दिया गया है जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:48 IST
Reason: SelfAttested